

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:- 101/2020 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विभिन्न 03 निर्माण कार्यों (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

देहरादून : दिनांक 21 मई 2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 03 आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 20.00 किमी0 + 14 मी0 स्पान सेतु एवं लागत ₹ 148.46 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 148.46 लाख (₹ एक करोड़ अड़तालीस लाख छियालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख प्रति कार्य अर्थात् 03 कार्य हेतु ₹ 0.30 (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190(पी.डब्ल्यू.डी.)/2001 टी.सी.II दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- (ii) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii) कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- (vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-54 भूमि कय में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

550 II  
18  
25/5

1408  
CEIP  
25/5

श्री चौहान  
25/5/21



- (ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्त एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- (xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।
- (3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-76 /XXVII(2)/2021 दिनांक 18 मई 2021में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्न: यथोपरि।

*(Signature)*  
भवदीय,  
(स्नेह कुमार सुधांशु)  
प्रमुख सचिव।  
*(Signature)*

- संख्या- (1)/III(2)/21-46(एम0एल0ए0)/2017T.C.-I तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
  2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  3. आयुक्त, कुमाउं मण्डल, नैनीताल।
  4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
  5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि. अल्मोड़ा।
  6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
  7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
  9. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो.नि.वि. अल्मोड़ा।
  10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., कपकोट।
  11. गाई फाईल।

आज्ञा से,  
*(Signature)*  
(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।




1388

शासनादेश संख्या:- //III(2)/21-46(एम0एल0ए0)/2017 T.C.I दिनांक 21 मई, 2021 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई कि०मी०	शासन द्वारा अनु. लागत (लाख ₹ में)	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1.	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-101/2020 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में ग्राम पंचायत पोंथिंग से तोली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	7.00	46.48	0.10
2.	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-101/2020 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में हरसीला से सीमा-कुमतीरा जतरकोट तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	8.00+02 सेतु	65.30	0.10
3.	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-101/2020 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत नामती चेटाबगढ मोटर मार्ग के किमी० 04 से भदौडा तक 05 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य(प्रथम चरण)	5.00+12 मी० स्पान सेतु	36.68	0.10
	योग:-	22.00 + 14 mtr. Span	148.46	0.30

(इतीस हजार मात्र)

  
(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।





बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022 )  
Secretary-Secretary, PWD(S038)  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1388/III(2)/21-46(MLA)17TCI  
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21050220061  
आवंटन पत्र दिनांक-21-MAY-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय

04-District and other Roads

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
53-वृहद निर्माण				1010000	30000	0	1040000					
योग				1010000	30000	0	1040000					

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.30,000 (Rupees Thirty Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwwd@nic.in



पत्रांक- 472 /20 याता0'क' /2021

दिनांक-07.06.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

आर0 सी0 एस0 पंवार  
अधिक प्रशासनिक अधिकारी